16

विधिक सेवाएं और लोक अदालत

आपको ज्ञात ही होगा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में से 70% निरक्षर हैं और उनमें से कई बहुत गरीब हैं। कानूनी प्रक्रिया का लाभ गरीबों तक पहुँचाना और उन्हें अन्याय से बचाना बहुत कठिन है। इसलिए इसकी तुरन्त आवश्यकता है कि गरीब और जरूरतमन्द लोगों तक न्याय पहुँचाने के लिए गतिशील और कानूनी (विधिक) सेवा के व्यापक कार्यक्रम लागू किए जाएं। अदालती व्यवस्था तक पहुँचने तथा कानूनी प्रतिनिधि का खर्च वहन कर पाने में असमर्थ लोगों को सहायता देने के प्रावधान को कानूनी सहायता कहते हैं। अत: कानूनी सहायता अदालती व्यवस्था तक पहुँचा पाने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप यह भी समझ सकते हैं कि सामान्य अदालती प्रक्रिया बहुत मंहगी और समय खाने वाली है। इस के लिए काफी धन और संसाधन चाहिए जो एक गरीब आदमी की हिम्मत से बाहर है। इसलिए नये कानूनों द्वारा अदालतों की एक नयी व्यवस्था शुरू की गई है जिसे लोक अदालत कहते हैं। ये अदालतें औपचारिक रूप में काम कर रही अदालतों से भिन्न प्रकार से काम करती हैं। फौजदारी मुकदमों में सजा देने की एक लम्बी प्रक्रिया होती है जिससे सजा देने का उद्देश्य ही खो जाता है। इसलिए आज के समय में 'प्ली बार्गेनिंग' बहुत महत्वपूर्ण हो गयी है। भारत के कानून में आवश्यक परिवर्तनों के बाद को हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान मिल गया है।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- 'कानूनी (विधिक) सहायता' और इसकी अवधारणा के अर्थ की व्याख्या कर पाएंगे;
- 'कानूनी सहायता' की अवधारणा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ पाएंगे;
- विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के मुख्य प्रावधानों की व्याख्या कर पाएंगे;
- 'लोक अदालतों' की आवश्यकता को समझ पांएगे;
- 'लोक अदालतों' के संगठन एवं उनके अधिकार-क्षेत्र को स्पष्ट कर पाएंगे;

- 'प्ली बार्गेनिंग' की अवधारणा पाएंगे; तथा
- 'प्ली बार्गेनिंग' के विभिन्न प्रकारों एवं 'प्ली वार्गेनिंग' के लाभों को समझ पाएंगे।

16.1 कानूनी (विधिक) सहायता और सेवाओं का इतिहास

'कानूनी सहायता' आन्दोलन की सबसे पहली शुरूआत 1851 में दिखाई देती है जब गरीबों को कानूनी सहायता देने के लिए फ्रांस में कुछ कानून लागू किए गए थे। ब्रिटेन में गरीबों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने का संगठित प्रयास 1944 में किया गया जब लार्ड चांसलर विसकाऊन्ट साइयन ने इग्लैण्ड और वेल्स में गरीबों को कानूनी सलाह देने की प्रचलित सुविधाओं की जांच पड़ताल करने तथा जरूरतमन्द लोगों को राज्य द्वारा दी जाने वाली कानूनी सलाह को सुनिश्चित बनाने के लिए आवश्यक दिखाई देने वाली सिफारिशें करने के लिए रशेलिफ कमेटी नियुक्त की थी। 1952 से भारत सरकार ने भी गरीबों को कानूनी सहायता देने के प्रश्न को कानून मन्त्रियों और कानून आयोगों की बैठकों में उठाना शुरू कर दिया है। 1960 में कानूनी सहायता योजनाओं के लिए कुछ मार्गदर्शक बिन्दु तय किए गए थे। अलग अलग राज्यों में कानूनी सहायता बोर्ड, सोसाइटियों तथा कानून विभागों द्वारा कानूनी सहायता योजनाएं शुरू हो गई हैं।

1980 में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायधीश पी. एन. भगवती की अध्यक्षता में पूरे देश में कानूनी सहायता कार्यक्रमों पर नजर रखने और निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी को कानूनी सहायता स्कीमों को लागू करने वाली कमेटी के नाम से जाना गया और इसने पूरे देश में कानूनी सहायता की गतिविधियों की जांच पड़ताल का काम शुरू किया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में प्रावधान है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि न्यायिक व्यवस्था समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और विशेष रूप से उपयुक्त कानूनों अथवा योजनाओं अथवा किसी अन्य तरीके से आर्थिक या अन्य किसी अक्षमता के कारणवश लाचार किसी भी नागरिक को नि:शुल्क कानूनी सहायता दे कर न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न होने दिया जाए। अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य से यह सुनिश्चित करना अनिवार्य मानते हैं कि कानून के समक्ष सब समान होंगे तथा राज्य ऐसी न्यायिक व्यवस्था स्थापित करेगी जो सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय सुनिश्चित करेगी। कानूनी सहायता का प्रयास होगा कि संवैधानिक दायित्व अक्षरश: और भाव से पूरा हो और गरीबों, दलितों तथा समाज के कमजोर वर्गो को समानता के आधार पर न्याय उपलब्ध हो।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A इस बात पर बल देता है कि 'नि:शुल्क कानूनी सेवा' तर्कसंगत, स्वच्छ और न्यायपूर्ण विधि का एक अटूट तत्व है और इसके बिना निर्धन एवं अन्य अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्ति न्याय पाने के अवसर से वंचित हो जाएगा। अत: इस कारण से किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार तर्क संगत, स्वच्छ और न्यायपूर्ण विधि की एक अनिवार्य तत्व है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई गारंटी के अनुसार है। गरीबी और दुर्दशा के कारण कानूनी सहायता प्राप्त करने अथवा वकील करने में असमर्थ प्रत्येक अभियुक्त

का यह संवैधानिक अधिकार है और राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि ऐसे अभियुक्त को वकील उपलब्ध करवाए बशर्ते केस के हालात और न्याय की मांग तथा अभियुक्त को ऐसे वकील के प्रावधान पर कोई आपति न हो।

क्रियाकलाप 16.1

- अपने क्षेत्र में कार्य कर रही अदालतों के नाम लिखिए।
- ऐसे गरीब व्यक्तियों को ढूढियें जो कानूनी सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखते हों।
- अदालत जाने का सामर्थ्य न रखने वाले लोगों से उनकी असमर्थता के कारण जानिये।

16.2 विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987, (1994 में संशोधित)

16.2.1. कानूनी सहायता देने के लिए बने कानून के मुख्य प्रावधान

1987 (1994 में संशोधित) में पूरे देश में कानूनी सहायता कार्यक्रमों को समान रूप से संवैधानिक आधार देने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम ने कानूनी सेवाओं के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन किए। यह समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 'कानूनी सेवाएं प्राधिकरण' गठित करने का अधिनियम है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक अथवा अन्य किसी अक्षमता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाएगा।

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो मुकद्मा डालना चाहे अथवा अपना बचाव करना चाहे, इस अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी सेवाएं लेने का अधिकार है, यदि वह व्यक्ति–

(a) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो

(b) मानव व्यापार अथवा बेगार का शिकार हो

(c) महिला अथवा बच्चा हो

(d) दिमागी रूप से बीमार अथवा अन्य प्रकार से अक्षम हो

(e) किसी अनापेक्षित कमी के हालात जैसे किसी बड़ी आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूचाल अथवा औद्योगिक आपदा का शिकार हो

(f) औद्योगिक मजदूर हो अथवा

(g) उसकी वार्षिक आय 9000 रु से कम हो अथवा ऐसी किसी राशि से कम हो जो राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई हो, और मुकद्मा सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में चल रहा हो अथवा उसकी वार्षिक आय 12,000 रु से कम हो या राज्य सरकार द्वारा निश्चित किसी राशि से कम हो और मुकद्मा सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा हो

(आय की सीमा को बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन पहले से किए जा चुके हैं)

'कानूनी सेवाएं प्राधिकरण' किसी आवेदक के पक्ष में किसी मुकद्मे के लिए उसकी योग्यता की जांच करने के बाद उसको राज्य के खर्चे पर वकील उपलब्ध करवाता है, उस मामले से सम्बन्धित अदालती फीस जमा करता है और उस मामले से जुड़े सब छोटे बड़े खर्च करता है। जिस व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है उसे एक बार 'कानूनी सेवाएं प्राधिकरण' से सहयोग मिलने के बाद मुकद्मे पर कुछ भी खर्च करने के लिए नहीं कहा जाता।

क्रियाकलाप 16.2.1

अपने क्षेत्र के ऐसे लोगों की पहचान कीजिए जो कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार कानूनी सहायता प्राप्त करने योग्य है। उन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कीजिए जैसे महिलाएं, बच्चे, अल्प आय समूह और किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार।

16.2.2 विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 (संशोधित 1994) के अन्तर्गत अधिकारी

कानूनी सेवाएं प्राधिकारण 1987 में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार एक ऐसी संस्था का गठन करेगी जिसको राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण कहा जाएगा और वह इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय प्राधिकरण को दी गई शक्तियों का प्रयोग तथा सौंपे गए कार्यों को करेगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी सहायता और सहयोग देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी तन्त्र की रचना की गई है। 'राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण' शीर्ष संस्था है जिसका गठन, इस अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु नीतियां और सिद्धान्त निर्धारित करने तथा कानूनी सेवाओं के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली और सस्ती योजनाएं बनाने के लिए किया गया है। यह 'राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरणों' तथा गैर सरकारी संस्थाओं को कानूनी सहायता योजनाओं तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए **फंड** (राशि) का वितरण भी करता है। विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 में 'राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण' गठित करने का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय प्राधिकरण के दिशा निर्देशों तथा नीतियों को प्रभावशाली बनाने के लिए तथा लोगों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने एवं राज्य में लोक अदालतें चलाने के लिए 'राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण' गठित किए जाते हैं। 'राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण' का अध्यक्ष राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है जो मुख्य संरक्षक भी होता है। उच्च न्यायालय में काम कर रहे अथवा सेवानिवृत किसी न्यायधीश को इसका कार्यकारी चेरयमैन नामित किया जाता है।

'जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण' का गठन प्रत्येक जिले में कानूनी सहायता कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए किया जाता है। जिले का जिला न्यायाधीश इसका पदेन अध्यक्ष होता है।

प्रत्येक तालुक अथवा मण्डल अथवा तालुकों या मण्डलों के समूह में 'तालुक कानूनी सेवाएं कमेटियां' तालुक में कानूनी सेवाएं और लोक अदालतों के आयोजन में तालमेल करने के लिए गठित की जाती हैं। प्रत्येक 'तालुक कानूनी सेवाएं कमेटी' का अध्यक्ष, उस कमेटी के क्षेत्राधिकार में काम करने वाला कोई वरिष्ठ सिविल जज होता है; जो उसका पदेन अध्यक्ष होता है।

विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 (संशोधित 1994)
↓
राष्ट्रीय केन्द्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण
↓
राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण
↓
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण
↓
तालुक विधिक सेवाएं प्राधिकरण

केन्द्रीय प्राधिकरण तथा **राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण** (नालसा) की स्थापना के बाद 1998 के प्रारम्भ में निम्नलिखित योजनाओं और उपायों को केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा लागू किया गया है।

(a) इस अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नीतियों और सिद्धान्तों को निर्धारित करना

(b) इस अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी सेवाएं सस्ती दर पर उपलब्ध करवाने के लिए अति प्रभावशाली योजनाएं बनाना

(c) अपने पास उपलब्ध कोष का उपयोग करना तथा राज्य प्राधिकरणों और जिला प्राधिकरणों के लिए उपयुक्त कोष/राशि निर्धारित करना

(d) उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अथवा समाज के कमजोर वर्गो से सम्बन्धित किसी अन्य विशेष मुद्दे के लिए सामाजिक न्याय के मुकद्मों के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक कदम उठाना

(e) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, गन्दी बस्तियों अथवा कालोनियों में समाज के कमजोर वर्गों को अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित करने तथा लोक अदालतों के माध्यम से अपने विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करने के दोहरे उद्देश्य से कानूनी सहायता कैम्प लगाना

(f) बातचीत, मध्यस्थता और पंचाट के रास्ते से विवादों का हल करने हेतु प्रोत्साहित करना

(g) कानूनी सेवाओं के क्षेत्र में और विशेष रूप से गरीबों के लिए ऐसी सेवाओं की आवश्यकता के सन्दर्भ में शोध कार्य करना और उसे बढ़ावा देना

(h) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गई राशि द्वारा संचालित कानूनी सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का आवधिक मूल्यांकन एवं देखभाल करना तथा पूरे देश अथवा देश के किसी भाग में लागू योजनाओं और कार्यक्रमों का स्वतंत्र मूल्यांकन करना

(i) इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी सेवाएं और योजनाएं लागू करने के लिए अपने पास उपलब्ध कोष में से विशिष्ट योजनाओं के लिए विभिन्न स्वैच्छिक समाज सेवी संस्थाओं एवं राज्य और जिला प्राधिकरणों को सहायता के रूप में ग्रांट देना

(j) बार कौंसिल आफ इन्डिया के साथ सलाह-मशविरे को विकसित करना, क्लीनीकल कानूनी सेवा के कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों, लॉ कालिजों और अन्य संस्थानों में कानूनी सेवा क्लीनिक स्थापित करना, देखभाल करना तथा उनकी कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने हेतु मार्गदर्शन को बढ़ावा देना।

(k) लोगों में कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता का प्रसार करने हेतु तथा विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों, सामाजिक कल्याण के विधेयकों तथा अन्य कानूनों के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यक्रमों और उपायों के प्रति शिक्षित करने के लिए उपयुक्त उपाय करना

(l) सबसे निचले स्तर पर काम कर रही स्वैच्छिक सामाजिक संस्थाओं; विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और ग्रामीण व शहरी मजदूरों के बीच काम कर रही संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करना

(m) राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवाएं कमेटी, उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं कमेटी, तालुक कानूनी सेवाएं कमेटियों और स्वैच्छिक समाज सेवी संस्थाओं तथा अन्य कानूनी सेवाएं संगठनों की कार्यप्रणाली की देखभाल करना तथा उन्हें समन्वित करना तथा कानूनी सेवाएं कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू करने के लिए सामान्य निर्देश देना

देश में अधिकांश न्यायधीशों की अदालतों में उन कैदियों के लिए, जो अपने लिए वकील करने में असमर्थ हैं, तुरन्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता परामर्शक (कौसंलर) उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

इस देश के लाखों लोगों को; जो जनजातीय, पिछड़े अथवा दूर-दराज के क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं; और अपनी कानूनी समस्याओं के हल के लिए आवश्यक सहायता और सहयोग हेतु कानूनी सेवाएं प्राधिकरणों की ओर देखने वालों को नियुक्त वकीलों (एडवोकेटों) द्वारा निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। मुकदमें में घिर जाने के बाद उन्हें प्राय: ऐसा लगता है कि वे एक गैर बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें बेहतर वित्तीय संसाधनों वाली पार्टी अधिक योग्य कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है। इन गरीब और कमजोर वर्गों के बीच यह सोच नहीं रहनी चाहिए कि उन्हे तुलनात्मक दृष्टि से घटिया कानूनी सेवा उपलब्ध है। कानूनी सेवाएं प्राधिकरणों को अपने पेनल के कानूनी सहायता देने वाले वकीलों की फीस दरों पर पुनर्विचार करना चाहिए और पेनलों को चुस्त बनाना चाहिए ताकि पेनल के एडवोकेट्स को अधिक काम तथा कानूनी सेवाएं प्राधिकरण से बेहतर मानदेय मिले और वे सहायता प्राप्त लोगों को प्रभावकारी कानूनी सहायता देने के लिए उत्साहित हों।

'नालसा' ने राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरणों को जेलों में कानूनी सहायता कक्ष स्थापित करने का आह्वान किया है ताकि जेलों में बन्द कैदियों को कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1994 के कारण तुरन्त और प्रभावशाली कानूनी सहायता प्राप्त हो जिसके वो अधिकारी है।

क्रियाकलाप 16.2.2

अपने क्षेत्र के कानूनी सेवाएं प्राधिकरणों की जानकारी प्राप्त करके उनकी सूची बनाईये। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आप को सभी स्तरों के कानूनी सेवाएं प्राधिकरण मिल

जाएंगे और यदि आप किसी प्रान्त की राजधानी में रहते हैं तो आपको राज्य और जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण मिल सकते हैं और यदि आप किसी जिले में रहते हैं तो आपको कम से कम एक और अधिक से अधिक दो कानूनी सेवाएं प्राधिकरण मिल सकते हैं।

16.3. लोक अदालत

लोक अदालत समझौता करने अथवा सौदेबाजी (बातचीत) करने की एक व्यवस्था है। इसको लोगों की अदालत भी कहा जाता है। इसको ऐसी अदालत के रूप में समझा जा सकता है जिसमें किसी विवाद अथवा शिकायत से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित लोगों को शामिल किया जाता है। सरकार द्वारा स्थापित लोक अदालतें समझा बुझाकर और समझौते से विवाद को हल करती हैं। पहली लोक अदालत 1986 में चेन्नई में हुई थी। लोक अदालत ऐसे मुकद्मों को स्वीकार करती है जो उसके क्षेत्राधिकार में लटके पड़े हैं और उनको समझाने-बुझाने तथा समझौते से हल किया जा सकता है।

चित्र 16.1: लोक अदालत

16.3.1 लोक अदालतों की आवश्यकता

जैसा कि हम जानते हैं कि न्याय में देरी न्याय न देना है। विभिन्न स्तरों के न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों को देखने से यह कथन सत्य प्रतीत होता है। बकाया पड़े मुकद्मों की बढ़ती संख्या ने न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया को टूटने के कगार पर ला खड़ा किया है। ऐसी स्थिति में लोगों के पास सस्ता और शीघ्र न्याय पाने के लिए लोक अदालत ही एक मात्र विकल्प है। लोक अदालतें लम्बित मुकद्मों की संख्या के साथ प्रभावकारी ढंग से निबटती हैं। लोक अदालत की दृष्टि में क्षेत्र, समुदाय और परिवार में शान्ति की पुर्नस्थापना के लिए विवादों को लटकाने के बजाय कड़वाहट को समाप्त करने का 'सामाजिक लक्ष्य' होता है।

व्यक्ति
- औपचारिक अदालत ⟶ पैसे और समय की बर्बादी
- लोक अदालत ⟶ पैसे और समय की बचत

इसलिए लोक आदलातें समाज के गरीब वर्ग के हित में हैं।

16.3.2 लोक अदालतों की संवैधानिक आधार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A के अन्तर्गत संसद ने विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1994 लागू किया गया जिसमें समाज के कमजोर वर्गों को सुनिश्चित करने के लिए

देश के किसी भी नागरिक को आर्थिक अथवा अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरो से वंचित नहीं किया जाएगा, नि:शुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने हेतु विभिन्न विधिक सेवाएं प्राधिकरणों को गठित करने तथा न्यायिक प्रक्रिया समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए; लोक अदालतें स्थापित करने की विधायी इच्छा को कार्य रूप दिया गया। वंचित और त्रस्त लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए विधिक सेवाएं प्राधिकरणों के निर्माण तथा लोक अदालतों के गठन द्वारा संविधान के सामाजिक न्याय के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया।

इस अधिनियम ने 'लोक अदालतों' को पहली बार संसदीय विधेयक के माध्यम से संवैधनिक दर्जा दिया यद्यपि यह संस्था भारत में सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहले से विद्यमान थी।

? क्या आप जानते हैं

विभिन्न अदालतों में लम्बित मुकद्मों की संख्या बहुत बड़ी है। उच्च न्यायालयों में बकाया मुकद्मों की स्थिति भयावह है। ऐसा अनुमान है कि भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लगभग 20 लाख मुकद्मे लम्बित पड़े हैं। इन सबसे यह दिखाई देता है कि हमारी न्यायिक क्षमता निरन्तर घट रही है और लोगों को न्याय दिला पाना लगभग असम्भव हो गया है।

16.3.3 लोक अदालतों का संगठन

प्रत्येक राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण अथवा सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवाएं कमेटी अथवा प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं कमेटी या तालुक कानूनी सेवा कमेटियां लोक अदालत आयोजित कर सकती हैं। लोक अदालत में तीन सदस्य होते हैं – एक सेवा निवृत अथवा सेवारत न्यायिक अधिकारी, कानूनी व्यवसाय से सम्बन्धित एक सदस्य (एडवोकेट, ला आफीसर अथवा कानूनी शिक्षक) और एक सामाजिक कार्यकर्ता जो महिला हो तो अच्छा। अधिनियम और इसके नियमों के अनुसार कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के सचिव को लोक अदालतों के सफल संचालन के लिए विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समुदाय में काम करने वाली स्वैच्छिक संगठनों को इस कार्य के साथ जोड़ना चाहिए।

16.3.4 लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार और निर्णय

लोक अदालतों का लक्ष्य समझौते और समाधान पर पहुँचना है। ऐसा करने के लिए इसको गवाहों को बुलाने तथा सवाल जवाब करने के लिए, प्रपत्रों को खोजने के लिए, शपथ पत्रों पर गवाही दर्ज करने के लिए तथा सार्वजनिक रिकार्ड मांगवाने के लिए सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है।

जब कभी कोई समझौता होता है तो एक निर्णय दिया जाता है जिससे सिविल न्यायालय की निर्णय माना जाता है। इसको सरल और स्पष्ट तरीके से लिखा जाता है। ऐसे निर्णयों के विरूद्ध किसी प्रकार की अपील की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि इन्हें अन्तिम माना जाता है। यदि कोई समझौता नहीं हो पाता तो इसको वापस अदालत में भेज दिया जाता है।

बहुत से लोग लोक अदालतों को औपचारिक अदालतों तथा ट्रिब्यूनलों से मुकद्मों को हटाने के एक उपाय तथा औपचारिक अदालती व्यवस्था में मुकद्मों की बढ़ती संख्या को घटाने की एक रणनीति के रूप में देखते हैं। बीमा कम्पनियां लोक अदालतों के माध्यम से मोटर दुर्घटना मामलों में क्षतिपूर्ति को सस्ते और प्रशसनिक दृष्टि से सुविधाजनक पा कर अब लोग ट्रिब्यूनल के बजाय लोक अदालतों को प्राथमिकता देने लगे हैं।

पाठगत प्रश्न 16.1

1. हमें लोक अदालतों की आवश्यकता क्यों है? लोक अदालतों के संवैधानिक आधार की संक्षेप में चर्चा कीजिए।
2. क्या आपने अपने जिले में आयोजित किसी लोक अदालत को देखा है? यदि हाँ तो अपना अनुभव लिखिए।
3. रिक्त स्थान भरिये–
   (a) लोक अदालतों में तीन सदस्य होते हैं। – एक सेवारत अथवा सेवानिवृत ....., एक ..... का सदस्य तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता परन्तु महिला को प्राथमिकता।
   (b) लोक अदालत के निर्णय के विरूद्ध अपील .....जा सकती है।

16.4. प्ली बार्गेनिंग का सिद्धान्त

भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में न्याय का राज्य स्थापित करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति न्याय की इच्छा रखता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि न्याय में विलम्ब न्याय न मिलने के समान है। अत: यह चिन्तन का विषय है कि वास्तव में कितने लोगों को समय पर न्याय मिलता है। विभिन्न न्यायालयों में बहुत बड़ी संख्या में मुकद्में लम्बित पड़े हैं। मुकदमों के ढेर ने भारतीय अदालतों को बहुत समय से भयभीत कर रखा है।

अत: यह बहुत जरूरी है कि परीक्षण की प्रक्रिया को तेज करने तथा न्यायालयों को मुकद्मों के ढेर से मुक्त करने के लिए किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था को अपनाना होगा। इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में रोजाना हजारों अपराध किए जाते हैं। अत: यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अदालतों में आपराधिक मुकद्मों के तेज दर से बढ़ने के कारण उपलब्ध कार्यबल अपेक्षा से कम पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त मुकद्मों से जन्मी बहुत सी अपीलें भी न्यायालयों में मुकद्मों की संख्या को बढ़ा देती हैं। ऐसी स्थिति में यह चिन्ता का विषय है कि इस समस्या पर किस प्रकार नियन्त्रण पाया जाए।

16.4.1 प्ली बार्गेनिंग का अर्थ

"अपराध स्वीकार कर के कम सजा को सुनिश्चित करना" प्ली बार्गेनिंग का सम्भवत: सबसे छोटा अर्थ है। भारतीय विधायिका द्वारा अपनायी गई 'प्ली बार्गेनिंग' वास्तव में पश्चिम की देन है। 19वीं सदी में अमरीकी व्यवस्था में यह सिद्धान्त अच्छी तरह से प्रचलित था। प्ली बार्गेनिंग अमरीकी व्यवस्था में इतना सामान्य है कि अमरीकी दण्ड न्यायालय

में प्रत्येक मिनिट में एक मुकद्मा दोष मानने पर सुलझा लिया जाता है। इग्लैण्ड, वेल्स आस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में भी 'प्ली बार्गेनिंग' को स्वीकार किया जाता है।

प्ली बार्गेनिंग को अभियुक्त और अभियोजन के बीच परीक्षण से पूर्व सौदेबाजी (बातचीत) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस दौरान अभियुक्त अभियोजन से कुछ रियायतों के बदले में अपराध स्वीकार करने को सहमत हो जाता है। इससे अपराधी के बचाव करने वालों को परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरने से बचने का मौका मिलता है अन्यथा वास्तविक गम्भीर दोष के कारण उसमें अधिक दण्ड का खतरा होता है। उदाहरण के लिए चोरी के दोष से आरोपित एक अपराधी के लिए राज्य की जेल में कैद होने की सजा है, परन्तु उसे चोरी के दोष का अपराध स्वीकार करने का अवसर दिया जा सकता है जिसके लिए जेल की सजा नहीं होगी।

प्ली बार्गेनिंग के प्रकार:

प्ली बार्गेनिंग को व्यापक रूप से तीन प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। a) आरोप बार्गेनिंग, b) दण्ड बार्गेनिंग और c) तथ्य बार्गेनिंग

(a) आरोप (चार्ज) बार्गेनिंग एक सामान्य और व्यापक रूप से सुपरिचित 'प्ली' है। इसमें अभियुक्त को जिन आरोपों अथवा अपराधों के परीक्षण का सामना करना होगा, उन के लिए सौदेबाजी करने को शामिल किया जाता है। प्राय: अपराध स्वीकार करने के बदले अभियोजक बड़े आरोपों अथवा अन्य कुछ आरोपों को निरस्त कर देता है। उदाहरण के लिए हत्या के प्रथम श्रेणी के आरोपों को निरस्त करने के बदले में एक अभियोजक हत्या के अपराध की स्वीकृति को मान सकता है।

(b) दण्ड बार्गेनिंग में हल्की सजा के लिए अपराध स्वीकार करने की दलील पर समझौते को शामिल किया जाता है। यह अभियोजन को परीक्षण और केस सिद्ध करने की आवश्यकता से बचाता है। यह डिफेन्डेन्ट (बचाव पक्ष) को हल्की सजा का अवसर प्रदान करता है।

(c) तथ्यों की बार्गेनिंग का ऐसे अभियोजन में बहुत कम प्रयोग किया जाता है जिसमें अभियोजन पक्ष उत्तेजक तथ्यात्मक हालात को अदालत के समक्ष प्रस्तुत न करने पर सहमत हो जाता है क्योंकि अन्यथा दण्ड सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत आवश्यक न्यूनतम अथवा उससे अधिक कठोर दण्ड दिया जा सकता है।

? क्या आप जानते है

संयुक्त राज्य अमेरिका में प्ली बार्गेनिंग बहुत सामान्य है। अधिकाधिक आपराधिक मामले न्यायिक परीक्षण के बजाय प्ली बार्गेनिंग से सुलझाए जाते हैं। संयुक्त राज्य में मानव हत्याओं के 95% अभियुक्तों को प्ली बार्गेनिंग के आधार पर दोषी करार दिया जाता है।

पाठगत प्रश्न 16.2

1. 'प्ली बार्गेनिंग' की व्याख्या कीजिए।
2. 'प्ली बार्गेनिंग' की विभिन्न प्रकारों को सूचिबद्ध कीजिए।

16.5 आपराधिक मामलों में प्ली बार्गेनिंग

16.5.1. आपराधिक न्यायिक व्यवस्था में प्ली बार्गेनिंग को शामिल करना

मूल रूप से प्ली बार्गेनिंग का अभिप्राय आपराधिक मुकद्मों में लगने वाले समय को कम करना है। प्ली बार्गेनिंग अवधारणा के लागू होने से पहले सर्वोच्च न्यायालय इसका घोर विरोधी था। सर्वोच्च न्यायालय के विचारानुसार मुकद्मों पर न्यायालय को उनके गुण दोष के आधार पर ही निर्णय लेना होता है।

यदि अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तब भी उसको उपयुक्त दण्ड देना बनता है। न्यायालय का विचार था कि केवल अपराध स्वीकार लेना दण्ड कम करने का आधार नहीं होना चाहिए; न ही अभियुक्त इस दलील पर सौदेबाजी कर सकता है कि क्योंकि वह अपराध स्वीकार कर रहा है - इसलिए दण्ड को कम किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के दृढ़ विरोध के बावजूद सरकार को इस सिद्धान्त को लागू करना सुखद प्रतीत हुआ। दण्ड न्यायालयों के पास लम्बित पड़े मामलों की बड़ी संख्या को इस अधिनियम को लागू करने का कारण बताया गया। यदि कोई व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो अभियोजन का समय बचता है जिसको अन्य अधिक गम्भीर अपराधों को सिद्ध करने में लगाया जा सकता है।

'प्ली बार्गेनिंग' केवल उन्हीं मामलों में प्रयोग की जा सकती है जिनमें अधिकतम सात साल की कैद हो सकती है। यह उस अपराध में लागू नहीं होती जहाँ अपराध से देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावित होती हो अथवा अपराध किसी महिला या 14 वर्ष से छोटे बच्चे के साथ किया गया हो।

प्ली बार्गेनिंग का आवेदन अपराध का परीक्षण करने वाली अदालत के समक्ष स्वेच्छा से करना चाहिए। तब शिकायतकर्ता और अभियुक्त को सन्तोषजनक ढंग से केस निपटाने के लिए समय दिया जाता है। अदालत अपराध स्वीकृती के मामले में दण्ड को एक चौथाई कर सकता है। प्ली बार्गेनिंग के आधार पर दी गई सजा के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

प्ली बार्गेनिंग पिछले दशकों में उभर कर सामने आई है और कानूनी समुदाय में अपनी स्वीकृति बना चुकी है। द क्रिमीनल ला बिल (संशोधन) 2003 को जब संसद में प्रस्तुत किया गया तो इस पर खूब सार्वजनिक बहस हुई। खूब हो-हल्ले के बावजूद सरकार ने इसे स्वीकार करने योग्य पाया और अन्त में आपराधिक प्रक्रिया संहिता में धारा 265A से 265L तक को जोड़ा गया ताकि प्ली बार्गेनिंग लागू की जा सके।

16.5.2 प्ली बार्गेनिंग के लाभ

'प्ली बार्गेनिंग' विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस से अदालतों और राज्य को मुकदमों का बोझ कम करने में सहायता मिलती है। छोटे मामलों को प्ली बार्गेनिंग के द्वारा सुलझाने के तरीके से अभियोजकों के कार्य भार को कम करके यह उन्हें गम्भीरतम मामलों पर तैयारी करने योग्य बनाती है। अपराधी द्वारा अपने कृत्यों का उत्तरदायित्व स्वीकार

करने एवं कीमती और लम्बी परीक्षण प्रक्रिया के बिना स्वेच्छा से कानून के समक्ष प्रस्तुत होने के कारण यह सुधार का भी एक घटक है। ऐसे मामलों में जहाँ अभियोजन कमजोर हो, वहाँ गवाहों और साक्ष्यों की कमी के कारण परीक्षण पूरा किया जाता है और अन्तिम परिणाम बरी करना हो सकता है, वहाँ अभियोजन के पास एक अवसर होता है कि वह अभियुक्त के साथ प्ली बार्गेनिंग के लिए सहयोग दे कर अपराध सिद्ध कर सके। एक बुद्धिमान अभियोजक गम्भीर अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य जुटाने के लिए किसी महत्वहीन अभियुक्त के साथ प्ली बार्गेनिंग की सहमति बना सकता है। प्राय: ऐसे मामलों में जहाँ अभियुक्त के विरूद्ध अपराध सिद्ध करने में वृद्धजनों अथवा महिलाओं की भूमिका प्रमुख होती है, वहाँ (बृद्धजनों की) मृत्यु अथवा असहयोग मुकद्मों के विपरीत परिणाम का मुख्य कारण बनता है। इसके द्वारा अभियोजन बरी हो जाने की सम्भावना को नकारता है और अपराधी अधिक गम्भीर आरोपों के फलस्वरूप होने वाली अधिक सजा से बचने का मौका पाता है। अपराध के शिकार हुए व्यक्ति की दृष्टि से भी प्ली बार्गेनिंग एक अच्छा विकल्प है जिसमें उसे अधिकतम राहत मिलती है और अभियुक्त दण्डित होने तक की लम्बी अदालती प्रक्रिया से बच पाता है।

इस व्यवस्था से जेलों में बन्द विचाराधीन मुकद्मों में फंसे कैदियों की बड़ी संख्या को बहुत राहत मिलती है और अदालतों में लम्बे समय से लटके मामलों में भी कमी आती है।

प्ली बार्गेनिंग के पक्ष में कुछ अन्य कारक भी हैं जो तीन मुख्य वर्गों में आते हैं। प्रथम तो कुछ न्यायविद् यह मानते हैं कि ऐसे बचाव पक्ष को दण्ड नीति के अन्तर्गत लाभ मिलना चाहिए जो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। वे इस स्थिति के पक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं। विशेष रूप से अपराध स्वीकृति से उत्तरदायित्व स्वीकार करना परिलक्षित होता है और इससे ऐसी मानसिकता प्रकट होती है जो सुधार की ओर जाने की इच्छा दर्शाती है जिसके कारण लम्बे समय के बजाय कम समय में पुनर्वास की उम्मीद जगती है। दूसरा विचार प्ली बार्गेनिंग को प्राथमिक रूप से दण्ड प्रक्रिया के रूप में नहीं अपितु विवाद समाधान के रूप में लेता है। प्ली बार्गेनिंग के कुछ पैरोकार मानते हैं कि अभियुक्त को तथ्यात्मक तथा कानूनी विवादों पर समझौता करने का अवसर देना वांछनीय है। उनकी दृष्टि में यदि प्ली समझौते से अभियुक्त और राज्य, दोनों की परिस्थिति में सुधार नहीं होता तो कोई न कोई पक्ष अवश्य ही परीक्षण (मुकद्मे) के लिए आग्रह करेगा।

अन्त में कुछ लोग प्ली बार्गेनिंग का समर्थन आवश्यकता और सस्ता होने के आधार पर करते हैं। वे प्ली नेगोसिएशन को दण्ड विधान अथवा विवाद समाधान के रूप में न मान कर यह तर्क देते हैं कि समाज ऐसे सभी अपराधियों पर मुकद्मा (परीक्षण) नहीं चला सकता जिनकी अपराध स्वीकृति का उन्हें कोई लाभ नहीं मिले और वह (अपराधी) मुकदमा चलाने की मांग करें। कम से कम प्ली बार्गेनिंग के कारण बचे अतिरिक्त संसाधनों के अन्य अधिक उपयुक्त लाभ हैं।

पाठगत प्रश्न 16.3

1. 'प्ली बार्गेनिंग' के क्या लाभ है?

क्रियाकलाप 16.5

1. अपने अध्ययन केन्द्र के विद्यार्थियों के दो समूह बनाइये और उनके बीच बाद-विवाद करवाइये। एक समूह 'प्ली बार्गेनिंग' का पक्ष लेगा और दूसरा विरोध करेगा। चर्चा के मुख्य बिन्दुओं को नोट कीजिए।

आपने क्या सीखा

- 'विधिक सहायता और सेवाएं' ऐसे प्रावधान हैं जिनका लाभ कोई भी गरीब व्यक्ति उठा सकता है। यदि कोई व्यक्ति गरीब और अनपढ़ है तो भी उसके लिए न्याय सुरक्षित है। अब गरीब के लिए न्याय पाने के रास्ते में पैसा कोई अड़चन नहीं है।
- सबसे पहले कानूनी सहायता सेवाएं फ्रांस सरकार द्वारा 1851 में प्रदान की गई थीं। बाद में 1944 में इग्लैण्ड सरकार ने गरीबों और जरूरतमन्दों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास किए। हमारा संविधान भी समाज के कमजोर वर्गों के लिए कानूनी सहायता और सेवाएं सुरक्षित करता है। यह सुविधा हमारे संविधान के अनुच्छेद 39A के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 में लागू किया गया। इस अधिनियम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए लाभ को सुरक्षित करने के लिए लागू किया गया है।

  अधिनियम परिभाषित करता है कि कानूनी सहायता के लिए कौन अधिकृत हैं और किन परिस्थितियों में उनको यह अधिकार प्राप्त है?

  इस अधिनियम में चार स्तरों पर कानूनी प्राधिकरण गठित करने के प्रावधान है।

  (1) राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण

  (2) राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण

  (3) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण

  (4) तालुक विधिक (कानूनी) सेवाएं प्राधिकरण

- लोक अदालत का अभिप्राय है लोगों की अदालत। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने झगड़ों (विवादों) और समस्याओं को समझौते और बातचीत के आधार पर हल कर सकते हैं। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए अदालत जाता है तो उसे काफी पैसा और समय खर्च करना पड़ता है। लोक अदालत पीड़ित व्यक्ति का समय और पैसा बचाती है।
- प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा अमेरिकी व्यवस्था से ली गई है। अमेरिकी व्यवस्था में इस सिद्धान्त को अपनाने से केस निपटाने में तेजी आई है। प्ली बार्गेनिंग का अर्थ है कि अभियुक्त अपराध स्वीकार करने के लिए तैयार है, पर बदले में अभियोजन द्वारा कुछ रियायतें मिलनी चाहिए।

  प्ली बार्गेनिंग तीन स्तर पर की जा सकती है

  (1) दोष बार्गेनिंग : दोष निर्धारित करते समय प्ली बार्गेनिंग करना

(2) दण्ड बार्गेनिंग : इसमें अपराध स्वीकार करने पर कम सजा का समझौता शामिल होता है।

(3) तथ्य बार्गेनिंग : इसमें अभियोजन कुछ ऐसी तथ्यात्मक परिस्थितियों को अदालत को न बताने के लिए सहमत होता है क्योंकि उनको बताने के कारण अभियुक्त को निश्चित न्यूनतम सजा तो अवश्य होगी।

कानूनी सहायता कार्यक्रमों को पूरे देश में एक समान तरीके से लागू करने को संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए 1987 में विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम लागू किया गया जिसको बाद में 1994 में संशोधित किया गया।

लोक अदालत, जिसे लोगों की अदालत भी कहा जाता है; विवादों को बातचीत और आपसी समझौते से सुलझाने की व्यवस्था है। आज के समय में प्ली बार्गेनिंग बहुत महत्वपूर्ण बन चुकी है और इसलिए इसका हमारी आपराधिक न्यायिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है।

पाठांत प्रश्न

1. विधिक (कानूनी) सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 (संशोधित 1994) के मुख्य प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।
2. विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित प्राधिकरणों के नाम लिखिए। उनके क्या कार्य हैं?
3. "लोक अदालत व्यवस्था समाज के गरीब वर्गों के लिए लाभदायक है" व्याख्या कीजिए।
4. लोक अदालत के क्षेत्राधिकार एवं निर्णय की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
5. प्ली बार्गेनिंग का क्या अर्थ है? प्ली बार्गेनिंग के लाभ लिखिए।
6. कालम 'A' में लिखे अधिकारों को कालम 'B' में लिखे उनसे सम्बन्धित कर्त्तव्यों के साथ मिलाईये

A	B
(a) विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 को गठित करने का अधिकार है	(a) मुकद्मों का बोझ कम करने में
(b) लोक अदालत को कहते हैं –	(b) लोक अदालत आयोजित कर सकता है
(c) राज्य प्राधिकरण –	(c) अमरीकी व्यवस्था से
(d) प्ली बार्गेनिंग अवधारणा ली गई है –	(d) लोगों की अदालत
(e) प्ली बार्गेनिंग अदालतों की सहायता करती है –	(e) राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं प्राधिकरण

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

16.1

1. जैसा कि हम जानते हैं कि देरी से न्याय मिलना, न्याय न मिलने के बराबर है। यदि हम विभिन्न स्तरों की अदालतों में बकाया केसों के ढेर की ओर देखते हैं तो यह कथन सत्य लगता है। बकाया केसों के बढ़ते हुए ढेर ने न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया को टूटने के कगार पर ला खड़ा किया है। इस स्थिति में लोगों के समक्ष सस्ता और शीघ्र न्याय पाने के लिए लोक अदालत सबसे अच्छा विकल्प है। लोक अदालतें बातचीत और समझौते से तय/हल होने वाले केस लेती हैं। लोक अदालतें गरीब लोगों के समय और पैसे की बचत करती हैं।

संवैधानिक आधार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A के अन्तर्गत संसद ने विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए, कि भारत के किसी भी नागरिक को आर्थिक अथवा अन्य किसी अयोग्यता के आधार पर न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा, समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क तथा सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न 'विधिक सेवाएं प्राधिकरण' गठित करने तथा समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने हेतु कानूनी व्यवस्था के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतें स्थापित करने की संसद की विधायी इच्छा थी।

वंचित तथा बेसहारा लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालतें आयोजित करना तथा विधिक सेवाएं प्राधिकरण निर्मित करके सामाजिक न्याय के संवैधानिक मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था।

2. हाँ, लोक अदालत में उपस्थित रहने का मेरा अनुभव बहुत उत्साहवर्द्धक था

3. (a) (i) न्यायिक अधिकारी (ii) कानूनी व्यवसाय

(b) नहीं

16.2

1. 'प्ली बार्गेनिंग' को अभियुक्त और अभियोजन के बीच 'परीक्षण' (ट्रायल) से पूर्व सौदेबाजी (बातचीत) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

2. (क) आरोप (चार्ज) बार्गेनिंग

(ख) दण्ड बार्गेनिंग एवं

(ग) तथ्यों को बार्गेनिंग

16.3

1. 'प्ली बार्गेनिंग' विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे अदालतों का भार कम करने में सहायता मिलती है। अपराधी अधिक गम्भीर आरापों के फलस्वरूप होने वाली अधिक सजा से बचने का मौका पाता है। अपराध के शिकार हुए व्यक्ति की दृष्टि से भी 'प्ली बार्गेनिंग' एक अच्छा विकल्प है। जिसमें अधिकतम राहत मिलती है और अभियुक्त दण्डित होने की लम्बी अदालती प्रक्रिया से बच जाता है।